

भाग—II

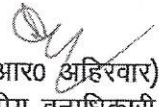
(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

परियोजना स्कीम का स्थान	प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या
1. राज्य संध शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
2. जिला	जालौन
3. वन प्रभाग	सा0वा0 वन प्रभाग, उरई (जालौन)
4. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (हे0 में)	42.60301 हे0
5. वनभूमि की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन
6. हरियाली का घनत्व	0.1
7. प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणी वार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये) सिचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ.आर.एल. 2 मीटर पर परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मीटर संलग्न किये जाए)	2686 संलग्न है
8. भूक्षरण के लिये वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू क्षरण के लिये क्षेत्र संवेदनशील नहीं है।
9. वनेतर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	0 किमी0
10. क्यों फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, वाघ रिजर्व, हाथी कारीडोर आदि का भाग है (यदि हां, क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबन्धित की जाये)	नहीं
11. क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजान की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती है यदि हां तो तत्संबन्धी व्यौरा दें।	नहीं
12. क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हां तो तत्संबन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण के साथ, यदि अपेक्षित हो, दें।	नहीं
8. प्रस्तावित एजेन्सी द्वारा भाग—1 कॉलम—2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जाँचे गए विवरण के व्यौरे के मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिये अपरिहार्य और न्यूनतम है।
9. क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हां तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन संबन्धी कार्य अभी भी चल रहे है।	नहीं
10. प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	
(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवकमित वन क्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	संलग्न है

- | | |
|---|--|
| (ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेतर/अवकमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप। | संलग्न है |
| (iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के वितरण कार्यान्वयन एजेन्सी, समय अनुसूची लागत ढांचा आदि। | संलग्न है |
| (iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय | 18203400.00 |
| (v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये) | प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है। |
| 11. जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कॉलम 7 (11, 12) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें) | कोई नहीं। |
| 12. विभाग/जिला प्रोफाइल | |
| (i) जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल | 4565 वर्ग किमी० |
| (ii) जिले का वन क्षेत्र | 25639.35 हे० |
| (iii) मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लागा गया कुल वन क्षेत्र | 5 मामले (55.148 हे०) |
| (iv) 1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण | 55.148 हे० |
| (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनेतर भूमि | 55.148 हे० |
| (ख) वनेतर भूमि पर | 0.00 हे० |
| (v) प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति | 52.50 हे० |
| (क) वनभूमि पर | 55.50 हे० |
| (ख) वनेतर भूमि पर | 0.00 हे० |
| 13. प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लाने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश | प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है। |

तिथि— 16.02.2017.

स्थान— उरई.


 (बी०आर० अहिरवार)
 प्रभागीय वनाधिकारी,
 जालौन सा०वा० वन प्रभाग उरई।